



2026:AHC:26047

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 3056/2026

सनी

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : ओम प्रकाश विश्वकर्मा, राम बाबू यादव

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता : सरकारी वकील

कोर्ट नंबर-3

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड में प्रस्तुत तथ्यों का अवलोकन किया।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदक का नाम पीड़िता द्वारा स्वयं 15.09.2025 को दर्ज कराई गई एफ.आई.आर. में है, जिसमें उसने आरोप लगाया है कि वह परित्यक्त महिला है और उसकी कोई संतान नहीं है। एक महीने पहले, आवेदक ने उसे कुछ खाने को दिया था, जिसके कारण वह बेहोश हो गई थी, और उसने जबरदस्ती उसका बलात्कार किया था। उसने घटना का वीडियो भी बनाया था, जिसमें उसे कुछ चोटें भी आई थीं। इसके बाद, 9.09.2025 को लगभग रात 11:00 बजे उसने फिर से पीड़िता की इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती उसका बलात्कार किया। धारा 180 के तहत दर्ज अपने बयान में पीड़िता ने

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



एफ.आई.आर. के संस्करण का समर्थन करते हुए यह भी कहा है कि 18.08.2025 को उसने उसे गर्भपात कराने की दवा भी दी थी। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि आवेदक ने पीड़िता के साथ पहली बार बलात्कार कब और किस समय किया था और जिसके लिए उसने पहले कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। एफ.आई.आर. दर्ज करने में भी काफी देरी हुई है और इसका कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। एफ.आई.आर. के संस्करण के साथ-साथ धारा 180 और 183 बीएनएसएस के तहत दर्ज पीड़िता के दोनों बयानों में भी महत्वपूर्ण विरोधाभास हैं। पीड़िता 36 वर्षीय परित्यक्त महिला है। चिकित्सा परीक्षण में पीड़िता के शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं पाई गई, हालांकि अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया है कि आवेदक ने उसके साथ मारपीट भी की थी। इसलिए, यह तर्क दिया गया है कि यह एक झूठे आरोप का मामला है और आवेदक को गुप्त इरादे और दुर्भावनापूर्ण मंशा के कारण झूठे और निराधार आरोपों के साथ इस मामले में फंसाया गया है। आवेदक के खिलाफ लगाए गए आरोपों की झूठी प्रकृति को साबित करने के लिए कई अन्य दलीलें भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं। अधिवक्ता के अनुसार, जिन परिस्थितियों के कारण आरोपी को झूठा फंसाया गया, उनका भी उल्लेख किया गया है। आवेदक की ओर से यह भी आश्वासन दिया गया है कि वह कानून की प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए तैयार है और आवश्यकता पड़ने पर अदालत के समक्ष निष्ठापूर्वक उपस्थित रहेगा तथा अदालत द्वारा उस पर लगाई जाने वाली सभी शर्तों को स्वीकार करने के लिए भी तैयार है। इसके बाद वह प्रस्तुत करता है कि आवेदक 10.12.2025 से जेल में है, और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

3. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत याचिका का यह तर्क देते हुए विरोध किया है कि प्री-ट्रायल चरण में आवेदक की निर्दोषता का निर्णय नहीं किया जा सकता, इसलिए वह किसी भी प्रकार की रियायत का पात्र नहीं है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. सभी तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए और गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय इसे जमानत के लिए उपयुक्त मामला पाता है। तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

5. आवेदक सनी को मुकदमा अपराध संख्या 404/2025, धारा 64(1), 123(1), 115(2), 127(2) के तहत, पुलिस स्टेशन- परतापुर, जिला- मेरठ में, व्यक्तिगत मुचलका भरने और संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि के दो स्थानीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:

- i) आवेदक अभियोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - ii) आवेदक अभियोजन गवाहों को धमकाएगा या परेशान नहीं करेगा।
 - iii) आवेदक अवर न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि पर उपस्थित होगा।
 - iv) आवेदक उस अपराध के समान कोई अपराध नहीं करेगा, जिसका उस पर आरोप है या जिसके किए जाने का संदेह है।
 - v) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह व्यक्ति न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष तथ्यों का खुलासा करने से हतोत्साहित हो या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।
6. उपरोक्त उल्लिखित किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में, संबंधित न्यायालय आवेदक की जमानत को कानून के अनुसार रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(डॉ. गौतम चौधरी, न्यायमूर्ति)

5 फरवरी, 2026

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"